

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 37/16 (2016/00183) वाद पत्र.

उनवान

- 1—कालु रावल आत्मज नाथु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1 लेहरूरावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/2 पन्नारावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/3 प्रेमरावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/4 सुखा रावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/5 गणेश रावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/6 कमला पुत्री पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/7 नेनु पत्नि पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

- 1—मंजू पत्नि प्रेम रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2—शंकरलाल आत्मज नाथु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3—गोपा आत्मज नाथु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4—लेहरू आत्मज कालु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5—गोरधननाथ आत्मज मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—कैलनाथ आत्मज मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 7—मु0 हगामी बेवा मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

उपस्थित

1.—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 26.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 29.05.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे मुझ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 12 रकबा 0.25 हे0, 15 रकबा 0.22 हे0, 16 रकबा 0.78 हे0, 214 रकबा 0.39 हे0, 261 रकबा 0.02 हे0, 263 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.68 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 18 पर स्थित है। जिसमे वादी का 1/6 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व

खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।


तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 18.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर की प्रस्तावित आराजी संख्या 15/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 16/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 214/1 रकबा 0.14 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.27 है0 लेहरूरावल, पन्नारावल, प्रेमरावल, सुखारावल, गणेशरावल पिता कालुरावल कमला पुत्री कालुरावल नेनु पत्नि कालुरावल सा0देह खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 12 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 15/2 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 16/2 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 214/2 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 263 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 भूमि मंजुदेवी पत्नि प्रेम रावल शंकररावल, गोपारावल पिता नाथु रावल लेहरूरावल पिता कालु रावल गोवर्धन, केलनाथ पिता मोहननाथ हगामी बेवा मोहननाथ जोगी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




26.12.19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 37/16 वाद पत्र.

उनवान

- 1-कालु रावल आत्मज नाथु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1 लेहरूरावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/2 पन्नारावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/3 प्रेमरावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/4 सुखा रावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/5 गणेश रावल पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/6 कमला पुत्री पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर
- 1/7 नेनु पत्नि पिता कालुरावल निवासी मियाला तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

- 1-मंजू पत्नि प्रेम रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-शंकरलाल आत्मज नाथु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-गोपा आत्मज नाथु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-लेहरू आत्मज कालु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5-गोरधननाथ आत्मज मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-कैलनाथ आत्मज मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 7-मु0 हगामी बेवा मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर की प्रस्तावित आराजी संख्या 15/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 16/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 214/1 रकबा 0.14 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.27 है0 लेहरूरावल, पन्नारावल, प्रेमरावल, सुखारावल गणेशरावल पिता कालुरावल कमला पुत्री कालु रावल नेनु पत्नि कालुरावल सा0देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 12 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 15/2 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 16/2 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 214/2 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 263 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 मंजुदेवी पत्नि प्रेम रावल शंकररावल, गोपारावल पिता नाथु रावल लेहरूरावल पिता कालु रावल गोवर्धन, कैलनाथ पिता मोहननाथ हगामी बेवा मोहननाथ जोगी सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 26/12/2019 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




26/12/19
(सुन्दरलाल बम्बोडा) अधिकारी
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

